



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 10.02.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 841/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 10 हजार के ईनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ईनामी/शातिर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 841/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 10 हजार के ईनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

युनुस पुत्र बशीर निवासी नई बस्ती करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण -

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त युनुस पुत्र बशीर का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 1179/22 धारा 380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 812/23 धारा 380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 875/23 धारा 380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 20/24 धारा 380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 7/24 धारा 380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 22/24 धारा 457/380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 23/24 धारा 307 भादवि व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 841/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0सं0 85/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 316 नागेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-है0का0 226 धर्मेन्द्र कुंमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6-है0का0 465 मनीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनाँक 10.02.2025


ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 52/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. व मु0अ0सं0 77/25 धारा 87 बी.एन.एस. से संबंधित 02 अपहृताओं को सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 52/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. व मु0अ0सं0 77/25 धारा 87 बी.एन.एस. से सम्बन्धित 02 अपहृताओं को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बडौत ।
- 2-उ0नि0 श्री रामकुमार सिंह थाना बडौत ।
- 3-म0का0 336 पुष्पा देवी थाना बडौत ।
- 4-म0का0 821 मनीषा शर्मा थाना बडौत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 10.02.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वंश पुत्र संजीव निवासी ग्राम लोयन थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत ।
- 2-है0का0 111 मुन्नालाल थाना बड़ौत ।
- 3-है0का0 22 अमित नागर थाना बड़ौत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक- 10.02.2025

थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 41/25 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2)/110 बी.एन.एस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.02.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री अमित पुत्र दयानन्द निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.



शहबाज, 2. शाहरुख पुत्रगण दिलशाद, 3. सलमान पुत्र सुलेमान, 4. आमिर पुत्र नूरु, 5. अबरार पुत्र समे, 6. मोइन पुत्र उमरदीन, 7. यामीन पुत्र न्याजू निवासीगण ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी, जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की

धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु०अ०सं० 41/25 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2)/110 बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 41/25 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2)/110 बी.एन.एस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाहबाज पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-



1-उ०नि० श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है०का० 87 राकेश त्यागी थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनाँक 10.02.2025

थाना खेकडा पर दाखिल मालमुकदमाती के कुल 11 वाहनों की नीलामी (कीमत 2 लाख 82 हजार रुपये) के सम्बन्ध में-

कार्यवाही

दिनाँक 10.02.2025 को मा0 न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना खेकडा पर वर्ष 2020 से 2021 तक के मालमुकदमाती वाहनों की नीलामी श्रीमान तहसीलदार बागपत, श्रीमान क्षेत्राधिकारी खेकडा व प्रभारी निरीक्षक थाना खेकडा की उपस्थिति में की गई। उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के कुल 20 कबाडियो ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल 11 वाहनो (चार पहिया) (कीमत 2 लाख 82 हजार रुपये) की नीलामी की गई।





प्रेस नोट

थाना खेकडा


दिनांक 10.02.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उक्त के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 51/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विशाल पुत्र वीरसैन निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 51/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 220/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 202/24 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विकास चहल थाना खेकडा ।
- 2-उ०नि० श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा ।
- 3-का० 555 रवि कुमार थाना खेकडा ।
- 4-का० 535 अतुल कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनाँक-10.02.2025

थाना दोघट पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

विशाल पुत्र कुंवरपाल निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री प्रांशू राजपूत थाना दोघट ।
- 2-है०का० 188 सुबोध कुमार थाना दोघट ।